[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. **45/2021** - सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, 24 **अगस्त**, 2021

सा.का.नि. .... (अ)– सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "बेरियम कार्बोनेट", जो कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2836 60 00 के अंतरगत आता है, पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेती है और एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2016–सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अप्रैल, 2016, जिसे सा.का.नि. 443 (अ) दिनांक 21 अप्रैल ,2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[मि.स. सीबीआईसी 190354/154/2021–टीआरयू–सीबीईसी]

(गौरव सिह)

उपसचिव भारत सरकार